न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/00004

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी, बॉसवाडा	बनाम	1. मैसर्स श्री राम कंस्ट्रक्शन (प्रो.–श्री जितेन्द्र कुमार अवचार पिता श्री रामेश्वर जी अवचार) ग्राम– तालिमाखिया, छोटी सरेडी, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी) 2. श्री जगदीश चन्द्र भट्ट पिता शंकरलाल भट्ट ग्राम बोरी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 06.08.2021

बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी, बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स श्री राम कंस्ट्रक्शन (प्रो.–श्री जितेन्द्र कुमार अवचार पिता श्री रामेश्वर जी अवचार) ग्राम– तालिमाखिया, छोटी सरेडी, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी), श्री जगदीश चन्द्र भट्ट पिता शंकरलाल भट्ट ग्राम बोरी तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती) के खाते दिनांक 30–08–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 8,12,902.41/– रू. (आठ लाख बारह हजार नौ सौ दो रु इकतालिस पैसा) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में परिसम्पत्ति, ऋण अनुबन्ध करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित ऋणी की अचल भूमि एवं निर्माण अवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 10,000 वर्गफीट है जिसका आराजी नंबर 1275/1049 जो कि ग्राम तालिमाखिया ग्राम पंचायत छोटी सरेडी तहसील गढी जिला बॉसवाडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारन्टर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के [illegible] 03–09–2019 को ऋणी/अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं [illegible] व ऋण राशि जमा नही करवाई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 10.02.2021 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 12.03.2021 को श्री फारुख मोहम्मद एड्वोकेट का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा से सी.सी लिमिट लोन दिनांक

03.05.2012 को लिया था। पिछले एक वर्ष से लॉक डाउन में निर्माण कार्य नही चलने और अप्रार्थी के राजस्थान राज्य में किये गये कार्यो की राशि नही मिली है। जिस कारण कुछ माह की ब्याज की किश्ते अदा करनी बाकी रह गई है। अप्रार्थी नियमानुसार ब्याज की किश्ते जमा कराने को तैयार है जिसके लिये प्रार्थी द्वारा कुछ समय दिये जाने निवेदन किया है। दिनांक 07.04.2021 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी सं. 2 बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। दिनांक 05.07.2021 को न्यायहित में पुनः अप्रार्थी सं. 2 को अन्तिम सूचना पत्र जारी किया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ किन्तु अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 06.08.2021 को प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि उनकी ओर से दिनांक 07.04.2021 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई है एवं अप्रार्थी नियमानुसार ब्याज की किश्ते जमा कराने को तैयार है जिसके लिये कुछ समय दिये जाने निवेदन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है। अब और समय दिया जाना उचित नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एक उभय पक्षीय बहस तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं गहनतापूर्वक अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी जिला बॉसवाडा (राज.) द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात बैंक ऑफ बडौदा शाखा गढी जिला बॉसवाडा (राज.) को दिलाने के लिए बैंक को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहयोग प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)